

(2) A copy of the Finance Accounts of Union Government for the year 1979-80 (Hindi and English versions).

[Placed in Library See No. L.T-3974/82].

12.04 hrs.

COMMITTEE ON PRIVATE
MEMBER'S BILLS AND
RESOLUTIONS

FORTY-SECOND REPORT

SHRI G. LAKSHMANAN
(Madras North) : I beg to present the Forth-second Report (Hindi and English versions) of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions.

COMMITTEE OF PRIVILEGES

SECOND REPORT

SHRI HARINATHA MISRA
(Darbhanga) : I beg to present the Second Report (Hindi and English versions) of the Committee of Privileges.

12.05 hrs.

CALLING ATTENTION TO
MATTER OF URGENT
PUBLIC IMPORTANCE

REPORTED LOCK-OUT IN HINDUSTAN
SAMACHAR

अध्यक्ष महोदय : कार्लिंग एटेंशन—
श्री रामस्वरूप राम ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) :
अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न
है ।

हिन्दुस्तान समाचार बन्द हुआ सूचना एवं
प्रसारण मन्त्रालय की नीतियों के कारण,
केवल श्रम विभाग नहीं है । सूचना मन्त्रालय
ने सारी घन राशि देना बन्द कर दी, इस
लिए समाचार बन्द हुआ है ।

अध्यक्ष महोदय : अपने आप जवाब
देने ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप
सूचना मन्त्री को भी बुलाइए, केवल श्रम-
मन्त्री का मामला नहीं है ।

MR. SPEAKER : Let him reply.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह केवल
श्रम मन्त्रालय का मामला नहीं है ।

श्री राम विलास पासवान : इसमें भगवत
भा आजाद क्या करेंगे, साठे जी को
बुलाइए ।

श्री रामावतार शास्त्री : ये क्या करेंगे,
यह मैं बताऊंगा ।

अध्यक्ष महोदय : हां शास्त्री जी बताएंगे
इनका नाम है इसमें ।

12.06 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER in the Chair]

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : एक
श्रीर कार्लिंग एटेंशन मंजूर कर लें ताकि
सूचना मन्त्री जवाब दे सकें ।

उपाध्यक्ष महोदय : कौन सा सत्रावसान
हो गया है ?

श्री मधु दंडवते (राजापुर) : मालूम देता है सूचना मन्त्री सूचित नहीं किए गए हैं ।

SHRI RAMSWAROOP RAM (Gaya) : I call the attention of the Minister of Labour to the following matter of urgent public importance and request that he may make a statement thereon :—

“The reported lock-out in ‘Hindustan Samachar’ news agency and action taken by Government in this matter.”

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI DHARMAVIR) : Hindustan Samachar, a Cooperative Society, is one of the four news agencies operating from Delhi. The Delhi Administration which is the appropriate Government has reported that this agency has not paid wages to its employees – Journalists from January, 1982 and Non-journalists from February, 1982. The Hindustan Samachar Karamchari Union observed a token strike on the 1st April, 1982 and served a notice of indefinite strike from the 16th April, 1982 demanding payment of wages in accordance with the Palekar Award and bonus for the years 1979-80 and 1980-81. Meanwhile, the management suspended a Senior Operator, a member of the Union on the 12th April, 1982 on the ground that he was found preparing posters for the union during working hours. The union thereupon proceeded on an indefinite strike from the 14th April, 1982. The management declared a lockout from the mid-night of the 17th-18th April, 1982.

2 The Delhi Administration intervened in the matter to resolve the dispute and held several discussions with the Management.

3. The Management are reported to have informed the Delhi Administration that they are in a financial

crisis. They were, therefore, unable to pay the wages to the employees in time as about Rs. 11.46 lakhs are due to the society from various sources.

4. The Labour Commissioner, Delhi Administration called both the parties on the 16th April, 1982. As the Chairman of the society did not agree to revoke the suspension of the Senior Operator, the Union were not agreeable to call off the strike. The parties were again called for discussion by the Labour Commissioner on the 20th April, 1982 with a view to having the lockout lifted but without any positive results. He has again called them for a meeting today.

5. Further action under law, as may be appropriate, will be taken by the Delhi Administration on the outcome of the discussions.

MR. DEPUTY SPEAKER : Full information has been furnished. Put questions only.

SHRI RAMAVTAR SHASTRI (Patna) : How can you say like this. Many things are involved.

श्री राम स्वरूप राम : मंत्री महोदय के उत्तर को मैंने भी और सदन ने भी सुना है । लेकिन खेद है कि मंत्री महोदय ने हिन्दुस्तान समाचार में जो तालाबन्दी है, स्ट्राइक चल रही है, इसके कारणों की गहराई में जा कर पता लगाने की कोशिश नहीं की है । आप जानते हैं कि चार समाचार एजेंसीज हैं और हिन्दुस्तान समाचार एजेंसी उन में से एक है । जितने भी अखबार हैं चाहे वह इंडियन एक्सप्रेस हो, टाइम्स आफ इंडिया हो, स्टेट्समैन हो या और बड़े-बड़े अखबार हों ये सब मौनोपोली हाउसिस के हाथ में है, उनका उन पर एकाधिकार हो गया है । हम देख ही रहे हैं कि अखबारों का क्या

[श्री राम स्वरूप राम]

रोल है, कैसा रोल वे प्ले कर रहे हैं? देश के निर्माण में। सरकार की जो उपलब्धियां हैं उनको ये अखबार छापने के लिए तैयार नहीं होते हैं, अगर छापते भी हैं तो छीटी सी खबर के रूप में किसी एक कर्नर में इस तरह की खबरों को छाप देते हैं। इसका मतलब यही है कि अखबार पूंजीपतियों के हाथ में हैं; चाहे वह रामनाथ गोइनका हों, बिड़ला हों या टाटा हों। केवल हिन्दुस्तान समाचार ही एक ऐसी एजेंसी है जो गरीबों की बात देश के सामने लाती है। लेकिन वहां भी प्रतिक्रियावादी तत्व ब्रुस गये जो आर० एस० एस० के रूप में काम कर रहे हैं और अब वहां गरीबों की आवाज इग्नोर की जा रही है। वहां पर आर० एस० एस० के लोग बैठे हुए हैं। आप उनका आचरण देख लीजिये, पिछला रिकांड देख लीजिये। जो प्रबन्धक हैं उन्होंने वहां पर आर० एस० एस० का खोला बना लिया है।

इन्होंने कहा है कि हि० सं० 30 लाख रु० के घाटे में चल रहा है। पालेकर अर्वाइंड या प्रैस कमीशन की रिपोर्ट आयी, पालेकर अर्वाइंड ने तनख्वाह बढ़ाने की बात कही, लेकिन "टाइम्स आफ इण्डिया" ने कोर्ट की शरण ली और कर्मचारियों को पालेकर अर्वाइंड के अनुसार तनख्वाह नहीं मिली। यह सिर्फ "हिन्दुस्तान समाचार" की ही बात नहीं है, बिहार में "आर्यावर्त" "इण्डियन नेशन" को देख लीजिये जो महाराजाओं के हाथ में हैं। 'पी० टी० आई०', "टाइम्स आफ इण्डिया" डालमिया जी के हाथ में है, "इण्डियन ऐक्सप्रेस" रामनाथ गोइनका के हाथ में है। इस प्रकार सभी अखबारों की क्या हालत है, किसी से छिपी हुई नहीं है। इन अखबारों में गरीबों की तस्वीर और

सरकार की उपलब्धियां नहीं निकलतीं, केवल विरोधी पार्टियों के पैमपलैट्स के रूप में काम कर रहे हैं। आप "आर्यावर्त" और "इण्डियन नेशन" को देख लीजिये वह पत्रकारिता का रूप खो बैठे हैं और केवल आर० एस० एस० का खिलौना बन कर उनका प्रचार किया जा रहा है। यह बहुत दुर्भाग्य की बात है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) :
हर जगह आर० एस० एस०।

श्री राम स्वरूप राम : आर० एस० एस० की बात यहां पर इस लिये कह रहा हूँ कि "हिन्दुस्तान समाचार" एजेंसी देश के गांवों की तस्वीर लोगों के सामने रखती। लेकिन टॉप में बैठे हुए श्री वी० पी० अग्रवाल का नाम लीजिये ...

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) :
"नेशनल हेराल्ड" का नाम लीजिये।

श्री राम स्वरूप राम : उसको तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। एक ओर "हिन्दुस्तान समाचार" वाले कहते हैं कि यह एजेंसी 30 लाख रु० के घाटे में चल रही है। हम कहते हैं कि माधव राघवन को.....

MR. DEPUTY SPEAKER : Now you can put your questions. You have prepared sufficient background.

श्री राम स्वरूप राम : आपको ज्यादा समय देना होगा। अगर राम नाथ गोइनका की बात होती तो मैं तुरन्त सवाल रख देता। लेकिन चूंकि गरीबों की बात को रखना है इसलिए पॉइंट बनाना होगा।

एक ओर कहते हैं कि "हिन्दुस्तान समाचार" घाटे में चल रही है, तो आपने 800 रु० से 2,000 रु० तक की तनख्वाह टॉप

मैनेजमेंट में क्यों बढ़ा दी ? श्री श्याम सुन्दर आचार्य हैं जिनकी तीन बार तरक्की दी और उनकी तनख्वाह 800 रु० से बढ़ाकर एकदम 2,000 रु० कर दी। फिर सुरेन्द्र द्विवेदी, आचार्य नरेन्द्र सिन्हा, ज्ञानेन्द्र मारदाब, रमा शंकर अग्निहोत्री, बसन्त देशपांडे यह सभी आर० एस० एस० के प्रान्तीय प्रचारक रहे हैं। इनकी यही तस्वीर है देश में। इनसे आप चाहते हैं कि न्यूट्रल हो कर के काम करें ? क्या सम्भव है ?

MR. DEPUTY SPEAKER :
Calling Attention is not on the functioning of R.S.S.

SHRI ATAL BIHARI VAJ-
PAYEE : He does not know that.

श्री राम स्वरूप राम : जो पत्रकार बन्धु हैं, जिन्हें आप लोकतंत्र के प्रहरी, लोकतंत्र की आंख कहते हैं, पालेकर एवाडं की जो रिक्मैडेशन आपने स्वीकार की है, दूसरे कमीशनस की रिक्मैडेशन हुई हैं, आप किसी भी अखबार वाले से पूछिये, उनके मालिकों से पूछिये कि पत्रकारों को वह मिल रही है या नहीं मिल रही है। बहुत दुखद बात है। मंत्री जी को इसकी गंभीरता में जाना चाहिए। आप कमीशन की रिपोर्ट बनवाते हैं, आप पालेकर एवाडं के अनुसार उनको फायदा दिलाने की बात, वेतन में बढ़ोत्तरी की बात करते हैं, लेकिन सभी रिक्मैडेशनज् पार्लियामेंट की अलमारी में सज्जित हैं और पत्रकार बन्धु जो काम करते हैं, उनकी हालत दिनों-दिन खराब हो रही है। इन पत्रकार बन्धुओं को जो यहां के बड़े-बड़े कैपिटलिस्टस तोड़ने की साजिश में लगे हैं, उनके बारे में तो आपको स्ट्रांग लैजिस्लेशन लाना चाहिये।

बड़े उद्योगपति, जिनके पास पैसा है और अखबारों पर उनका कब्जा है, वह जुडिशियरी में जा सकते हैं, हमारे पत्रकार बन्धुओं के पास पैसा कहां है, वह सुप्रीम-कोर्ट में पिटीशन नहीं कर सकेंगे। उनको खाने के लिये दो जून भोजन नहीं मिल पाता है। इसलिये जो पूंजीपतियों के नापाक इरादे हैं, उनसे इन लोगों को बचाने की कोशिश करें और उनके खिलाफ कोई स्ट्रांग लैजिस्लेशन लायें।

यह अभी कह रहे हैं कि हिन्दुस्तान समाचार में अभी तालाबन्दी है मैं मंत्री जी से कहूंगा कि वह अपना दूत भेजकर पता लगायें कि वहां आफिस चल रहा है या नहीं, बैंक से ट्रान्सैक्शंस हो रहे हैं या नहीं, फाइलें गायब हो रही हैं या नहीं ? हम समझते हैं कि वहां पर प्रतिक्रियावादी आर.एस.एस. के जमात के लोग लगे हुए हैं, और जो गरीब लोग वहां काम करते हैं, जिनका इदिरा गांधी में विश्वास है, उन लोगों के बीच में लड़ाई है, वहां पर टोप मैनेजमेंट उनको तंग करता है, यह हम चार्ज लगायेंगे। मैं मंत्री जी से कहूंगा कि वह इसकी जांच करायें।

मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, उसमें कहीं न कहीं कुछ कमी रह गई है। जैसा हमारे माननीय अटल बिहारी जी बोल रहे थे कि इस कालिग अटेंशन का जवाब 3 मंत्रियों के दिमाग से आना चाहिये था—एक तो इन्फार्मेशन मिनिस्टर के दिमाग से, दूसरा होम मिनिस्टर के दिमाग से और तीसरा लेबर मिनिस्टर के दिमाग से। लेकिन सौभाग्य है कि हमने एक लेबर मिनिस्टर ऐसा पाया है जो तीनों को को-ऑर्डिनेट कर के बात करते हैं। मुझे इस बात का गर्व है कि हमने ऐसा मंत्री पाया है। प्रसन्नता की बात है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : को-ऑर्डिनेट करने वाले एक ही मंत्री हैं, बाकी के सब को-ऑर्डिनेट नहीं करते ।

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री भागवत भ्मा आजाद) : अपने विषय में ।

श्री राम स्वरूप राम : मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि तीनों लोग मंत्रणा कर लें और उसके बाद जो मजदूरों और कर्मचारियों का शोषण हो रहा है, मैं सिर्फ हिन्दुस्तान समाचार की ही बात नहीं करता हूँ, सभी अखबारों की बात करता हूँ, कि उनको शोषण से मुक्ति के लिये कोई स्ट्रांग लैजिस्लेशन लाइये, जिनका अखबारों पर कब्जा है, उनको कम-से-कम जुडिशियरी में जाने का कम मौका दें, उनके कार्य-क्षेत्र को थोड़ा कटौल कीजिये। हमारा सारा प्रशासन और सरकार चिन्तित है ।

माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, लेकिन आपकी चिन्ता के वावजूद भी एक बात उसमें पूरी नहीं हो सकेगी जो आप चाहते हैं, मैंने पहले ही कहा कि वहां आर० एस० एस० के प्रति क्रियावादी अक्षाड़े हैं, टोप मैनेजमेंट के लोग रसमलाई खा रहे हैं और छोटे कर्मचारी, रामजी बाबू जैसे लोग भूखे मर रहे हैं, उनको पे नहीं मिल रही है, कम्पोज़ मशीन पर बैठा कम्पोज़िटर 2 महीने से पे नहीं पा रहा है। मैनेजमेंट में अग्रवाल साहब तन्खाहें बढ़ाते चले जा रहे हैं और बैंकों से ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार हिन्दुस्तान समाचार जैसी पवित्र और उपयोगी एजेन्सी को आर०एस० एस० के चुंगल से छुड़ा कर उसे स्वतंत्र और स्वायत्तशासी बनाने का प्रयास कर रही है। क्या सरकार प्रैस आयोग की इस संस्तुति पर विचार करेगी कि हिन्दी के

दोनों समाचार एजेन्सियों को एक करके उनसे प्रबन्ध के लिए एक आटोनोमस बाडी बना दी जाए? जब तक यह व्यवस्था न हो, क्या सरकार तब तक के लिए प्रैस रिपोर्टर्स, कुछ एम पीज और कुछ सोशल वर्कर्स की एक पावरफुल कमेटी बनाकर एक बैकल्पिक व्यवस्था करेगी? क्या सरकार का विचार इसको एक आटोनोमस बाडी बनाने का है, यदि हां, तो कब तक; यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

श्री भागवत भ्मा आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, हड़ताल, तालाबंदी और उसके कारणों के सम्बन्ध में मैंने अपने बयान में विस्तार के साथ बता दिया है। माननीय सदस्य ने पालेकर पंचाट के सम्बन्ध में प्रश्न उठाया है। इसके अन्तर्गत उन्होंने और बहुत सी बातें कही हैं, बड़े-बड़े अखबारों की, वह बाहर पटना भी गए, दिल्ली में भी घूमें, बम्बई भी गए। उनके बयान में कई ऐसी बातें हैं, जिनका सम्बन्ध मुझसे नहीं है और मैं उनके बारे में जवाब नहीं दे पाऊंगा। दूसरे, उन्होंने लेजिस्लेशन के बारे में सुझाव दिए हैं कि दोनों संस्थाएँ एक कर दी जाएं, वे आटोनोमस हों। उसका सम्बन्ध मुझ से नहीं है, सूचना और प्रसारण मंत्री से है और वही इस सम्बन्ध में कार्यवाही कर सकते हैं।

मेरा सम्बन्ध इस समय हिन्दुस्तान समाचार से है, और वह इसलिए है कि वहां पर हड़ताल और तालाबन्दी हो गई है। इस सम्बन्ध में मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि उसके प्रबन्धकों ने वहां काम करने वालों को तन्खाह नहीं दी—अब तक तन्खाह नहीं दी है, बीनस नहीं दिया है। पहले उन्होंने सितम्बर, अक्टूबर, नवम्बर 1981 की

तन्ववाह भी नहीं दी थी, जो जनवरी में दी। अब एक तरफ उन्होंने जनवरी, फरवरी मार्च, अप्रैल की तन्ववाह नहीं दी और दूसरी तरफ एक आपरेटर को इस चार्ज पर सस्पेंड कर दिया कि वह पोस्टर बना रहा था। इस सम्बन्ध में दिल्ली प्रशासन ने बुला कर उनसे कई बार बात की। आज भी बात हो रही है। हम चाहते हैं कि हिन्दुस्तान समाचार के प्रबन्धक इस बात की गम्भीरता को समझें और जो उन्होंने कदम उठाए हैं, उनके बारे में वे वहां की यूनियन, काम करने वाले जर्नलिस्ट्स से मिलकर समझौता कर लें, अन्यथा कानून के अन्तर्गत जो रास्ते हैं, उनका प्रयोग आज की इस वार्ता के बाद दिल्ली प्रशासन करेगा।

जहां तक प्राविडेंट फंड और ई० एस० आई० बकाये का प्रश्न है, वह भी नहीं दिया गया है। वह तो सीधे मेरे मन्त्रालय के अन्तर्गत है। उसके लिए हमने कार्यवाही कर दी है—यह आदेश दे दिया है कि प्राविडेंट फंड की रिक्वरी के लिए कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जाए और उनको प्रासीक्यूट किया जाए। जिससे मेरा सीधा सम्बन्ध है, उसके बारे में हमने अविलम्ब कार्यवाही की है और आदेश दिया है। वह कार्यवाही इससे पूर्व भी हो रही है और अब और जोर से होगी।

हिन्दी की एक न्यूज एजेन्सी और है, एक यह है। हम लोग चाहते थे कि ये अच्छी तरह से चले। हम लोगों को यह पता नहीं था कि हिन्दी भाषी यह न्यूज एजेन्सी इस तरह का व्यवहार अपने कर्मचारियों से कर रही है। ज्यों ही यह बात दृष्टि में आई, दिल्ली प्रशासन ने फौरन ही इसके बारे में कार्यवाही शुरू कर दी और कानून के

अन्तर्गत जो जो प्रावधान हैं, उनके अनुसार सब कार्यवाहियां की जाएंगी।

माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है कि इन दोनों को मिलाकर एक स्वायत्त संस्था बना दी जाए। माननीय सूचना और प्रसारण मन्त्री आ गए हैं। वह इस बात को नोट कर लेंगे और उचित समय पर बतायेंगे कि इस बारे में वह क्या करेंगे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हिन्दुस्तान समाचार की हत्या के लिए सूचना मन्त्री दोषी है।

श्री भागवत भा आजाद : पहले भी श्री वाजपेयी ने हल्के से कहा था, तो मैंने छोड़ दिया। अब उन्होंने जोर से कहा है, इसलिए मैं जवाब दे दूँ। अब उन्होंने जोर से कहा तो इसका जवाब मैं यह दे दूँ कि उनका जो पावना है वह पावना उन को आल इण्डिया रेडियो और दूरदर्शन से दिया गया है। मैं वह जवाब दे रहा हूँ जो मेरे पास फिगरस आई हैं। कुछ बाकी है। तो जो कुछ बाकी है उसके आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि दूरदर्शन और आल इण्डिया रेडियो ने उनको उनका उचित पावना नहीं दिया है। जो वह ले गए हैं उससे उनका पहला काम होना चाहिए था अपने एम्पलाईज को पें करने का। लेकिन यही काम वह नहीं कर रहे हैं। और सारा काम कर रहे हैं।

उन्होंने यह बताया है कि एक पावरफुल कमेटी बना दी जाय, तो मैं उनके इस सुझाव को दिल्ली प्रशासन को भेजूंगा और दिल्ली को-आपरेटिव ऐक्ट की धारा 32 (1) में यह दिया हुआ है कि :

“If in the opinion of the Registrar, the Committee of any co-operative society persistently makes default or is negligent in the performance of the duties imposed on it by this Act or the Rules or commits any act which is prejudicial to the interest of the Society or its members, the Registrar may, after giving the Committee an opportunity to state its objection, if any, by order in writing remove the Committee; and

(a) order fresh election of the Committee; or

(b) appoint one or more administrators, who need not be members of the Society.”

यह प्रावधान इस अधिनियम के अन्तर्गत है और जो आपने कहा है, दिल्ली प्रशासन का ध्यान मैं इस और आकृष्ट करूंगा। मैं तो यह चाहता हूँ कि न्यूज एजेंसी जो इस सम्बन्ध में काम कर रही है और जिन के प्रबन्धकों के साथ दिल्ली के श्रम आयुक्त बात कर रहे हैं, उन्होंने परसों भी उनसे बात की, कल भी की और आज भी अभी बुलाया है, कर रहे होंगे, अगर वे इसके सिलसिले में उनकी बात नहीं मानते हैं तो फिर उचित नियम और कानून के अन्तर्गत इस एजेंसी के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

श्री रामावतार शास्त्री(पटना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं शुरू में ही यह स्पष्ट कर देना उचित समझता हूँ कि हिन्दी समाचार एजेंसी का मैं विरोधी नहीं, समर्थक हूँ और मेरी दिली इच्छा है कि हिन्दी समाचार एजेंसियां अंग्रेजी एजेंसियों का स्थान ग्रहण कर लें और उस से भी आगे जायें। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं समझा जाना चाहिए कि हिन्दुस्तान समाचार ने मजदूर विरोधी जैसी हरकत की उस हरकत को हम लोग नजर अन्दाज कर दें। साढ़े तीन सौ कर्म-

चारियों और मजदूरों की जीविका का सवाल है। ऐसे हिन्दुस्तान समाचार के इक्के दुक्के लोगों से मेरी भी मित्रता है, वह अलग सवाल है। लेकिन साढ़े तीन सौ मजदूर भूखे मरें, इस सदन का कोई व्यक्ति यह पसन्द नहीं करेगा।

वक्तव्य के जरिये सरकार ने यह कहने की कोशिश की है कि किस तरीके से आज की स्थिति पहुँच गई। पहली अप्रैल को वहाँ के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर जिस में बोनस भी शामिल है, ई. एस. आई. का पैसा भी शामिल है, प्राविडेंट फंड वगैरह बकाया है और जनवरी और फरवरी से जिस की चर्चा की गई वेतन तक शामिल है, इन तमाम मांगों को लेकर उन्होंने एक दिन की सांकेतिक हड़ताल की और बाद को उन्होंने नोटिस दिया प्रबन्धन को कि अगर उस ने उन की मांगों का स्वीकार नहीं किया तो 16 अप्रैल से वह अनिश्चित कालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। 17 अप्रैल को वह गए भी। प्रबन्धन ने उन की मांगों की स्वीकार नहीं किया। वार्ता के बीच में ही उन्होंने तालाबन्दी घोषित कर दी। क्या वार्ता के बीच में तालाबन्दी की घोषणा करना कानून-सम्मत है? क्या कोई भी मजदूर-कानून इस बात की इजाजत किसी भी प्रबन्धन को या मालिक को देता है? नहीं। लेकिन उन्होंने कर दिया और यह बहाना बनाते हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति खराब है। कहीं से 11 लाख या उससे अधिक रुपया मिलने वाला है—कहते हैं कि उस समय हम भुगतान कर देंगे लेकिन पिछले चार वर्षों में विभिन्न सूत्रों से एक करोड़ रुपया हिन्दुस्तान समाचार को मिला है जिसमें 73 लाख सरकार की दी हुई राशि है—

यह रुपये कहां गए ? मैं पूछना चाहता हूँ क्या वह रुपए मजदूरों की जेब में गए या आर० एस० एस० की शाखाओं को चलाने में इस्तेमाल किए गए ? (व्यवधान) मैं यही जानना चाहता हूँ कि अगर वह रुपए आर० एस० एम० की शाखाओं को चलाने में नहीं गए तो उस पैसे का क्या हुआ ? इसका हिसाब मन्त्री जी को देना चाहिए कि यह रुपए कहां गए ? अब जहां तक सवाल है कि इसका आर० एस० एस० से सम्बन्ध है या नहीं, तो यह जग जाहिर है कि है सम्बन्ध ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मगर यह इर्रिलिवेन्ट है ।

श्री रामावतार शास्त्री : वह अलग बात है, लेकिन सम्बन्ध है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उसका इससे कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री रामावतार शास्त्री : मेरे से पहले बोलने वाले माननीय सदस्य ने तो लोगों के नामों की चर्चा की, मैं नामों की चर्चा नहीं करूंगा लेकिन पद की चर्चा जरूर करूंगा । अध्यक्ष, महाप्रबन्धक, उप-महाप्रबन्धक, उप मुख्य सम्पादक, लेखा-धिकारी और विभिन्न राजधानियों के प्रमुख सम्पादक जो हैं वह प्रान्तों में आर, एस. एस. की शाखाओं के परिचालक हैं ।

(व्यवधान)

श्री फूलचन्द वर्मा : उससे इस बात का क्या सम्बन्ध है ? (व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER : You must look at me and speak.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: RSS is a lawful organisation. Association with RSS is not a crime.

श्री रामावतार शास्त्री : मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि क्राइम है ।

MR. DEPUTY-SPEAKER : It is for the Minister to reply to this.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: Many members sitting on the other side have been associated with RSS. I can prove it.

श्री फूलचन्द वर्मा : श्री जगन्नाथ मिश्र भी आर० एस० एस० में थे ।

श्री रामावतार शास्त्री : श्री जगन्नाथ मिश्र भी आर० एस० एस० में थे—मैं इसका समर्थन करता हूँ ।

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: Let him confine himself to *Hindustan Samachar*.

श्री फूलचन्द वर्मा : हिन्दुस्तान समाचार में तालाबन्दी हो गई— उसका इससे क्या सम्बन्ध है ?

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: You are talking something irrelevant.

श्री रामावतार शास्त्री : वाजपेयी जी, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ । आप मुझे बोलने दीजिए ।

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: You cannot bring in RSS in this controversy.

श्री रामावतार शास्त्री : आप सुनते नहीं हैं तो मेरा क्या कसूर है ? मैं यह कह रहा था कि स्वरूप को समझना, व्यक्ति को समझने के लिए जरूरी है । मैं यह बता रहा हूँ कि यह मजदूर विरोधी भगड़ा कहां से शुरू हुआ । एक कर्मचारी अपनी मांग के समर्थन में पोस्टर लिख रहा था । एक ट्रेड यूनियन एक्टिविटी इसको आप कह सकते थे । आप

उस कर्मचारी से कहते कि दफ्तर में नहीं, बाहर जाकर करो यह मैं मान सकता हूँ लेकिन इसलिए कि वह पोस्टर बना रहा था, उसको निलम्बित कर दिया जाए ...

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : कहां बना रहा था ?

श्री रामावतार शास्त्री : दफ्तर में ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : किस शहर के दफ्तर में ? जो हुआ वह गलत हुआ लेकिन किस शहर के दफ्तर में ?

श्री रामावतार शास्त्री : इस तरह की बात हो, यह उचित नहीं है आप जैसे नेता के लिए । जो ट्रेड यूनियन का भी नेता है और अपनी पार्टी का नेता भी है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय, जो कुछ हुआ, वह गलत हुआ मगर शास्त्री जी यह बताएं कि यह कहां हुआ और कब हुआ । इन्होंने जगह का नाम नहीं बताया और ये आरोप लगा रहे हैं ।

श्री रामावतार शास्त्री : मैंने तो इस बयान में देखा है । इस में यह लिखा हुआ है ।

MR. DEPUTY SPEAKER : This is the statemant, Mr. Vajpayee.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं इन के बयान पर विश्वास नहीं करता ।

MR. DEPUTY-SPEAKER : This is the statement.

श्री रामावतार शास्त्री : मैं इस बयान के आधार पर बोल रहा हूँ ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उस पर क्या बोलेंगे । वह तो वे बोल चुके हैं ।

MR. DEPUTY-SPEAKER : It is in the statement. He is only mentioning about it. Yes, carry on.

श्री रामावतार शास्त्री : मैं बयान को आधार बना रहा हूँ ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उस में जगह नहीं लिखा है ।

श्री रामावतार शास्त्री : जी, हां । मैं यह कह रहा था कि किसी आदमी को लेजीटीमैट ट्रेड यूनियन एक्टिविटी के लिए निकाल देना, निलम्बित कर देना, इस को मैं तानाशाही से कम नहीं समझता ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अगर ऐसा हुआ, तो गलत है ।

श्री रामावतार शास्त्री : इस में आप की तानाशाही और इन्दिरा जी की तानाशाही में कोई फर्क नहीं है । तो यह मामला वहां से चला ।

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: Have you seen the statement ? The worker was found preparing posters during the working hours.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI : I told that.

MR. DEPUTY SPEAKER : He told that.

श्री रामावतार शास्त्री : मैंने कहा कि दफ्तर में बना रहा था ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : दफ्तर में काम के समय ?

श्री रामावतार शास्त्री : दफ्तर में वह क्या ऐसे ही बैठा रहेगा ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : चाय पियेगा । ... (व्यवधान) ... वर्किंग आवर्स में वह पोस्टर नहीं बना सकता ।

श्री रामावतार शास्त्री : उस से यह भी कह सकते थे कि बाहर जाओ। वर्किंग आवर्स में जो आप पोस्टर न बनाने की बात कहते हैं, तो आप भी वही एटोट्यूड लेते हैं जो गवर्नमेंट लेती है।

Do you support that stand? I cannot support that stand.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : वर्किंग आवर्स में वह पोस्टर नहीं बना सकता।

श्री रामावतार शास्त्री : इस तरह से आप ने किया और भगड़ा वहीं से शुरू हुआ और यह भगड़ा कहां तक पहुँच गया, यह आप देख रहे हैं। तालाबन्दी हो गई और गैर-कानूनी तालाबन्दी हो गई।

अब मैं लेबर डिपार्टमेंट की भी बखिया उधेड़ना चाहता हूँ। लेबर कमिश्नर कहता है कि स्ट्राइक सही है और एसिसटेंट लेबर कमिश्नर कोई *** हैं, वे कहते हैं कि स्ट्राइक गलत है और बर्कर्स को वे घमकी देते हैं।

It seems he belongs to RSS and he is the supporter of RSS.

SHRI ATAL BIHARI VAJAPYEE : Sir, he is making an allegation against an officer who is not in the House to defend himself.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I will go through the record.

श्री रामावतार शास्त्री : उन्होंने बहुत से नाम लिये थे, तब आप ने नहीं कहा।

PROF. MADHU DANDAVATE : RSS means Railway Security Service !

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : 'हिन्दुस्तान समाचार' में भगड़ा है, तो आर० एस० एस० और सास-बहु में भगड़ा हो जाए, तो वह भी आर० एस० एस०।

श्री रामावतार शास्त्री : वह आप कहिये। तो मैं यह बताना चाहता हूँ कि इनके लोग यहां से ट्रेनिंग लेकर, 'हिन्दुस्तान समाचार' से ट्रेनिंग लेकर विभिन्न प्रचार मीडिया में घुस जाते हैं और मधु दंडवते जी भी इसके दोषी हैं क्योंकि जब जनता पार्टी का राज्य था, तो उसमें यह बात हुई थी। वे सब घुस गये थे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : कम्युनिस्ट नहीं घुसते हैं ?

MR. DEPUTY-SPEAKER : You are addressing Mr. Vajpayee. Every now and then he is getting up. You address the Chair.

श्री रामावतार शास्त्री : तो मैं यह कह रहा हूँ कि 'हिन्दुस्तान समाचार' की न्यूज आप देखिये।

प्रो० मधु दंडवते : सी० पी० आई० में भी आर० एस० एस० के लोग घुसे हैं ?

श्री रामावतार शास्त्री : मैं यह कर्ना चाहता हूँ कि यह जो समाचार चयन करता है प्रसारित करने के लिए, उस का टिज साम्प्रदायिक होता है। जितने साम्प्रदायिक समाचार होंगे, दूसरी न्यूज एजेन्सीज या तो देती नहीं हैं या कम देती हैं और ये तलाश कर के ऐसे समाचार देते हैं। अभी हाल ही में बिहार में इन की समाचार मिल गया कि किसी मन्दिर में कही गौ-मांस पाया गया। इस तरह की यह समाचार एजेन्सी है।

MR. DEPUTY-SPEAKER : Now you put your question. Time is quite appropriate. You put your question now.

श्री रामावतार शास्त्री : इस में अधिकांश प्रबन्धक या काम करने वाले जो हैं, उन का आर० एस० एस० से जरूर

[श्री रामावतार शास्त्री]
सम्बन्ध है। मैं कोई बुरी बात नहीं कह रहा हूँ; मैं फॅक्ट्स मेंशन कर रहा हूँ। यह डोमिनेटड बाई आर० एस० एस० है।

अब मैं कुछ सवाल पूछता हूँ।

श्री राम स्वरूप राम : चोर की दाढ़ी में तिनका।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : दाढ़ी वाले सब उधर बैठे हैं।

श्री भागवत भा आजाद : पीछे भी हैं आप के, आप देखियें।

श्री रामावतार शास्त्री : आप इन के लेबर डिपार्टमेंट की बात देखिये। मैं यहीं की नहीं, पूरे हिन्दुस्तान की बात कह रहा हूँ। लेकिन यह मामला दिल्ली का है। वे कोई ध्यान नहीं देते, कानून के मुताबिक कार्यवाही नहीं करते, बँठे रहते हैं। हर जगह इस तरह की बात होती है। वे संभवतः मिले हुए हैं। यह केवल इसी का सवाल नहीं है। समाचार भारती में तनस्वाह नहीं बँटती, नेशनल हेरल्ड में, नवजीवन में तनस्वाह नहीं मिलती, बड़े-बड़े पूंजीपतियों के अखबारों में समय पर सहु-लियतें नहीं मिलतीं, इन तमाम अखबारों के बारे में आपको देखना चाहिए। इसी अर्थ में मैं कहता हूँ कि आपका लेबर डिपार्टमेंट इसको टुकुर टुकुर देखता रहता है, उनसे मिला रहता है, कर्तव्य विमूढ़ रहता है। जो इसकी भूमिका होनी चाहिए, उसे वह पूरा नहीं कर पाता है।

पुलिस की बात भी मैं बता दूँ। इस एजेन्सी ने नं० 6 और 8 क्वार्टर कनाट लेन में ले रखा है। वहाँ पुलिस वाले उनकी रक्षा कर रहे हैं। जो लाँक आउट के मारे

वहाँ पहुँचते हैं, उनको वे वहाँ घमकाते हैं, मारते हैं, ये चीजें हो रही हैं। आपकी पुलिस क्या कर रही है?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इस में भी आर० एस० एस० है।

श्री रामावतार शास्त्री : यह छिपी हुई कोई बात नहीं है कि कहां कहां वह घुसा हुआ है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : जरा होशियार रहना।

श्री रामावतार शास्त्री : आपका लेबर डिपार्टमेंट, पुलिस और ये लोग सब मिल कर के साढ़े तीन सौ कर्मचारियों को भूखा मारने के चक्कर में हैं।

अब मैं आप से यह पूछता हूँ कि क्या यह बात सच है कि हिन्दुस्तान समाचार और समाचार भारती इन दोनों समाचार एजेंसियों को आठ-आठ लाख रुपये मशीन खरीदने के लिए सरकार की तरफ से दिये गये? क्या यह बात भी सही है कि कुछ थोड़ी सी मशीनें खरीद कर के बाकी रुपये का गोल-माल किया गया? मंत्री जी, अगर यह जानकारी दे सकें तो आज दें, नहीं तो बाद में सदन को बताएं कि इस 16 लाख रुपये की भारी रकम का क्या हुआ?

आप या सरकार जब पैसा देते हैं तो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट मांगते हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि जब जब आपने इन समाचार एजेंसियों को, खास कर हिन्दुस्तान समाचार को पैसा दिया है तो क्या उसने कोई यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट आपको दिया है? अगर दिया है तो वह क्या है? अगर नहीं दिया है तो क्या यह कानूनन सही है? अगर

सही नहीं है तो आपने इसके विरुद्ध कौन सी कार्यवाही की ?

फिर आपको घाड़िट करवाने का हक है। क्या आपने इसके हिसाब-किताब का घाड़िट करवाया? अगर नहीं करवाया तो क्यों नहीं करवाया? क्या आपने धर्म खाता खोल रखा है कि जनता के पैसे को ऐसे ही देते रहिये, जिस जिस को देते रहिये और हिसाब की बात हम को नहीं बताइये? अगर आपका घाड़िट हुआ है तो बता दीजिए। तब तो वे इस मामले में दोषी नहीं माने जाएंगे। अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? ये सारी चीजें आपके सामने हैं।

खुद मन्त्री जी ने एक्ट की धारा पढ़ कर सुनायी। अगर इस एक्ट का पालन नहीं हो रहा है तो इसके लिए उनके खिलाफ कार्यवाही करने में विलम्ब क्यों किया जा रहा है? आप इधर विलम्ब कर रहे हैं और उधर कर्मचारियों और उनके लोगों के फास्ते उड़ रहे हैं और दिल और दिमाग चकरा रहे हैं। बिना भोजन के यह स्थिति है। इसके बारे में आपको बताना चाहिए कि क्या बात है ?

ऐसी तालाबन्दी की सब निन्दा कर रहे हैं। राजनीतिक दल और ट्रेड यूनियन सारे के सारे निन्दा कर रहे हैं। लेकिन सरकार कछुए की चाल से चल रही है। कछुए की चाल को छोड़िए और तमाम गड़बड़ियों को ठीक कीजिए।

क्या वहां पर प्रमोशन का कोई नियम है इसके बारे में आप बताने की स्थिति में हैं? 41 कर्मचारियों की वरिष्ठता को लांघ कर 9 पदों का सृजन सबसे अधिक वेतनमान में किया गया। इन पदों में पालेकर एवार्ड और श्रमजीवी पत्रकार कानून का कोई

उल्लेख नहीं है। उन्होंने ऐसा क्यों किया, इसके बारे में आपका क्या कहना है, क्या उन्होंने सही किया? अगर सही नहीं किया तो आपने क्या कार्यवाही की? इस तरीके से चुन-चुन कर आर० एस० एस० के हार्ड कोर जो हैं, उनको आगे बढ़ाया जाता है और बाकी लोगों को दबाया जाता है। तो यह बात भी सही नहीं है।

इन सब के लिए जो दोषी लोग हैं, जिनके कारण तालाबन्दी की स्थिति हो गई, उनके खिलाफ क्या आप कानूनी कार्यवाही करने की बात सोच रहे हैं और जो बकाया मजदूरी है, जनवरी और फरवरी से, जो उनका बकाया प्रावीडेंड फण्ड है, जो उनका ई० एस० आई० का पैसा है, जो काट लेते हैं, मजदूरों का हिस्सा अपने काम में ले लेते हैं, अपना हिस्सा तो जमा ही नहीं करते और यह सब जगह हो रहा है, हिन्दुस्तान समाचार में, दूसरे अखबारों में ऐसा होता है, इनके बारे में क्या कार्यवाही की गई। बोनस के बारे में भी उनकी मांग है। 80 या 81 का बोनस बकाया है। इसको दिलाने के बारे में आपने क्या कार्यवाही की।

इन सब बातों को मैं दोनों मन्त्रियों से जानना चाहता हूँ। वे सफाई पेश करें, ताकि बेचारे 350 कर्मचारियों और उनके आश्रितों का भला हो और साथ-साथ मनमानी करने वालों की हिम्मत आगे न बढ़े और वे आगे मनमानी न करें।

श्री भागवत भ्वा आज़ाद : उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न तो हिन्दुस्तान समाचार का है, मगर जो अभी वाजपेयी जी का और शास्त्री जी का वार्तालाप हुआ, उससे आपकी सुविधा के लिए कहूँ कि एक जज के सामने दो वकील आए—

[श्री भागवत भा आजाद]

One pleader said, Your Lordship, the other is practising in falsehood only and nothing else. The other Pleader said, Your Lordship, the Opposite pleader is nothing but an incarnation of falsehood. The judge said, after this mutual introduction, let us proceed with the case.

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ इस बात का जवाब दूंगा जो हिन्दुस्तान समाचार से संबंधित है, बाकी निकर और धोती की बात बहुत हो गई।

हमने हिन्दुस्तान समाचार को एक समाचार एजेंसी के रूप में देखा था और जैसा कि शास्त्री जी ने कहा कि हम लोगों की सहानुभूति इनके साथ थी और जो आज भी है, इसलिए कि यह हिन्दी भाषा की एक एजेंसी है, लेकिन इसके अन्तर्गत इतने कार्य हो रहे हैं, इसका पता हम लोगों को कैसे लगता कि उन्होंने 9 पदों का सृजन कर लिया, तनखाह नहीं दी। इन सब व्यवस्थाओं के बारे में हिन्दुस्तान समाचार सहकारी समिति में जो लोग बैठे हैं, वे विचार करते हैं। इसके अन्तर्गत तनखाह न देने का, प्राविडेंट फण्ड न देने का, ई० एस० आई० न देने का, बोनस न देने का, विशेष रग-रूप और पहनावे के लोग आते हैं, ये जो तमाम बातें हो रही हैं, इस पर जब वहां के कर्मचारियों ने हमारा ध्यान आकर्षित किया, ज्योंही यह बात विभाग के समक्ष लाई गई, अनौपचारिक रूप से श्रम विभाग, दिल्ली प्रशासन ने दोनों से बात की और कर रहे हैं और जब यह औपचारिक रूप में कर्मचारी दावा पेश करेंगे तो सरकार के सारे कानून लागू किये जायेंगे इसके खिलाफ, ताकि जो काम करने वाले हैं, उनको वेतन, प्राविडेंट फण्ड इत्यादि सारे अधिकार दिलाए जायें। इसलिए यह कहना

गलत होगा कि श्रम विभाग ने इस पर कोई कार्रवाही नहीं की। प्राविडेंट फंड और ई० एस० आई० का सीधा हमसे ताल्लुक है और उस पर हमने कार्रवाई शुरू करवा दी है और आदेश दिया है कि और आगे उसके बारे में किया जाए।

जिनका सम्बन्ध राज्य सरकारों से है वे सारी बातें उनको हम भिजवायेंगे और चाहेंगे कि वे इस दिशा में शीघ्र कार्य करें।

माननीय सदस्य ने आठ लाख की बात पूछी है। उनकी नजर ठीक दिशा में थी। वही बताएंगे कि आठ लाख दिया या कितने दिए, उसका उपयोग हुआ या नहीं। देने वाले वे हैं। मैं तो चैन के आखिर में हूँ। लड़ाई होने पर मेरा काम है समझौता करवाने की कोशिश करना और नहीं होने पर कानून का सहारा लेना। मुद्रा की बात साठे जी बताएंगे।

बिलम्ब की बात भी माननीय सदस्य ने की है। अनौपचारिक रूप से जब हमें कहा गया तभी से हमने कार्रवाई शुरू कर दी। अगर कोई देरी हुई है तो उसको हम मेक-अप करेंगे और राज्य प्रशासन को कहेंगे कि इस सम्बन्ध में वह कार्य करे।

पदों के सृजन की बात उन्होंने बताई है। वह भी तभी होगा जब कोई कानून तोड़ने का आरोप सोसाइटी के खिलाफ हो। इन-क्वायरी, यदि कानून तोड़ा गया है, तो होगी। कानूनी कार्रवाई हम कर रहे हैं।

मजदूरों की मजदूरी, बोनस जो कुछ भी बकाया है वह अवश्य उनको मिलना चाहिए। हम चाहते हैं कि ये उनको मिलें। बड़े दुख की बात है कि वाजपेयी जी ने कोट कर दिया कि सरकार ने कह दिया है कि

पोस्टर के आधार पर उसको निकाला गया है। यह बात मनेजमेंट ने कही है, हम नहीं कहते हैं। हम इसकी ताईद नहीं करते हैं। हमने यह कहा है कि "प्रबन्धकों ने 12 अप्रैल 1982 को एक वरिष्ठ आपरेटर को, जो इस यूनियन का सदस्य था, इस आधार पर मुअ्तिल कर दिया कि उन्हें कार्य समय के दौरान यूनियन के लिए पोस्टरों को तैयार करते हुए पाया गया।" यह उन्होंने कहा है और मैंने उनकी बात बताई है। इसके बारे में इनक्वायरी नहीं हुई है, इनक्वायरी होगी तब सही स्थिति का पता चलेगा। आश्चर्य की बात है कि प्रबन्धक अपना काम करवाते हैं सहयोगियों से और छः छः महीने का वेतन नहीं देते हैं। तीन महीने का तो जनवरी में दिया है। चार महीने का बकाया है। इसके बावजूद भी इस आधार पर एक कर्मचारी को मुअ्तिल किया जाता है कि वह पोस्टर छाप रहा था। हम उफ भी करें तो बागी हैं वे कल्ल भी करें, भूखों मारें, तनखाह भी न दें, बकाया न दें और यह कहें कि पोस्टर बना रहे थे इसलिए मुअ्तिल कर दिया है, इसका हम समर्थन नहीं करते हैं। अगर यह सच भी हो तो भी हम इसका समर्थन नहीं करते हैं। तनखाह नहीं दी है, भूखों मर रहे हैं, बोनस दो साल का नहीं दिया है, प्राविडेड फन्ड और ई. एस. आई. बकाया वे खा गए हैं और ऊपर से कहते हैं कि हमने मुअ्तिल कर दिया क्योंकि वह पोस्टर बना रहा था, यह अच्छा नहीं जंचता, किसी भी अच्छी एजेंसी के लिए यह शोभनीय बात नहीं है। जिन-जिन मुद्दों को उठाया गया है उन पर हम अवश्य कार्रवाई कर रहे हैं और दिल्ली प्रशासन को भी कहेंगे कि वह अविलम्ब आवश्यक कार्रवाई करे।

श्री कृष्ण प्रताप सिंह (महाराजगंज) :
निश्चित रूप से यह एक चिन्ता का विषय

है कि इस देश में जो दो हिन्दी समाचार समितियां हैं, उन दोनों की हालत बदतर है। एक की हम चर्चा कर रहे हैं। इसको लगभग तीस लाख का घाटा हुआ है। दूसरी को लगभग 47 लाख का घाटा हुआ है। दुर्भाग्य से इस पर वर्चस्व ऐसे लोगों का है कि उसमें सुधार की कोई गुंजाइश नजर नहीं आती। लाख वाजपेयी जी इन्कार करें लेकिन यह ठीक कहा गया है कि इस संवाद समिति का सम्बन्ध आर० एस० एस० से है। अगर वह इससे इन्कार करते हैं तो कोई उन पर विश्वास नहीं करेगा। सब लोग जानते हैं कि इस संवाद समिति की स्थापना उस समय की गई थी जबकि इस देश में आर० एस०एस० पर प्रतिबन्ध लगाया गया था। जो बचे हुए लोग थे उनके द्वारा ही इस समिति की स्थापना की गई थी। दो ही हिन्दी समाचार समितियां हैं, इसलिए स्वभावतः मन्त्री जी ने चिन्ता व्यक्त की है। और उन्होंने भी अपनी इच्छा प्रकट की कि हम चाहते हैं कि इस हिन्दी समाचार समिति को मजबूत बनाया जाय, यह आगे बढ़े, विकसित हो। परन्तु शास्त्री जी ने और माननीय राम स्वरूप राम ने ठीक ही चर्चा की कि किस तरह से वहां कर्मचारियों के साथ व्यवहार किया जाता है। एक आदमी जो बड़ी चर्चा करते हैं, प्रजातन्त्र की दुहाई देते हैं और कहते हैं कि डिक्टेटर हैं, हम लोगों पर हमेशा आरोप लगाते रहते हैं, हमारे नेता पर आरोप लगाते रहते हैं, परन्तु उनका क्या रवैया है? एक छोटा-सा कर्मचारी पोस्टर बना रहा था तो उसको बिना कारण बताये निलम्बित कर दिया। जिसको कि 4 महीने से वेतन नहीं दिया गया। किसी ने यह नहीं पूछा कि किस तरह से दिल्ली जैसे शहर में 4 महीने तक अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था? अगर प्रबन्धक यह कहते हैं कि उन्हें

[श्री कृष्णा प्रताप सिंह]

चिन्ता है, तो ठीक है। अभी दो लाख रु० जो उनको दिये गये उसमें से कर्मचारियों को कितना भुगतान किया? और अगर नहीं किया तो क्यों? और जब नोटिस दिया गया, तालाबन्दी की गई तो उसकी भी प्रक्रिया है, नियम है। क्या उसका पालन किया? तालाबन्दी की घोषणा से उनके तानाशाही का रवैया प्रकट होता है।

अधिक न कहते हुए केवल यह पूछना चाहता हूँ कि क्या यह बात सही है कि इस संवाद समिति की जो सहकारी समिति है इसके आधे ऐसे कर्मचारी हैं जो इसके सदस्य नहीं हैं? यदि हाँ, तो क्या सरकार उन कर्मचारियों को सदस्य बना कर ग्राम सभा करायेगी? और इसके पहले जैसा कि आपने एकट पढ़ कर सुनाया कोआपरेटिव एक्ट उसके अनुसार क्या आप इस प्रबन्धन को सुपरसीड कर के कोई प्रशासक नियुक्त करेंगे? यदि हाँ, तो कब तक?

क्या आप इस संवाद समिति का आडिट कराने का विचार कर रहे हैं? और आडिट करा कर क्या उसको सभा पटल पर रखेंगे? यदि हाँ, तो कब तक आडिट कराया जायगा?

कर्मचारियों के बारे में लिखा गया, मंत्री महोदय ने कहा कि हमको यह सारी बातें तब मालूम हुईं जब कि कर्मचारियों ने हमको लिखा। मैं जानना चाहता हूँ कि सरकार को उस श्रमिक संगठन ने कब पत्र लिखे थे, और उस पर क्या कार्यवाही हो रही है?

श्री भागवत झा आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, यह मुझे कहा गया कि इस हिन्दुस्तान समाचार सहकारी समिति लिमिटेड में ऐसे भी काम करने वाले व्यक्ति

हैं जिनको सदस्य नहीं बनाया गया है। मुझे कल ही बताया इनके कुछ सदस्यों ने कि इनकी दस्तावेज उनके पास पड़ी हैं और उस पर कार्यवाही नहीं की है। यह बात मुझे कही गयी, जांच होने पर पता लगेगा कि क्या स्थिति है। लेकिन ऐसा लगता है कि इन्होंने अपनी ही संस्था के व्यक्तियों को, जिन्होंने दस्तावेज दी है सदस्य बनने के लिए उनको सदस्य नहीं बनाया है। यह भी जांच से पता लगेगा। जहाँ तक प्रबन्धन को सुपरसीड कर एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करने का प्रोवीजन है उसमें रजिस्ट्रार को इस बात से सन्तुष्ट होना होगा किस प्रकार उनके कहने के बाद इस संस्था ने बात नहीं मानी।

13.00 hrs.

अब यह मामला हमारे ध्यान में आया है, हम इस बात को दिल्ली प्रशासन को कहेंगे कि उनको तनस्वाह, बोनस, ई० एस० आई० और प्राविडेंड फण्ड का पैसा नहीं दिया, उसके खिलाफ कार्यवाही शुरू कर दी जाये। लेकिन दुर्भाग्य है कि उस कार्यवाही में 50 रुपये या 25 रुपये फाइन का प्राबधान है, लेकिन खैर, उसके लिए और उपाय जो दिल्ली प्रशासन करेगा, वह सम्भवतः ठीक होंगे चाहे इण्डस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अन्तर्गत हों, जर्नलिस्ट एक्ट के अन्तर्गत हों या शाप एण्ड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अन्तर्गत हों। दिल्ली प्रशासन द्वारा उसके अन्तर्गत कार्यवाही करने की सम्भावना है। उन को आज श्रम आयुक्त ने बुलाया है, अगर उन्होंने इस बात पर विचार नहीं किया और कोई ऐसा फैसला जो दोनों पक्ष के लिए लाभदायक हो, नहीं किया तो यह सारे काम किये जायेंगे।

जहाँ तक आडिट का सम्बन्ध है, मैंने बतलाया है कि कोआपरेटिव सोसाइटी को

अपने एकाउन्ट्स आडिट कराने ही चाहिये, कब तक हैं, क्या हैं, इसकी मुझे विस्तार से खबर नहीं है, लेकिन यह एक आवश्यक बात है, अगर एकाउन्ट्स आडिट नहीं हुए हैं तो अब जो कार्यवाही की जायेगी, उसमें इस ओर भी दिल्ली प्रशासन का ध्यान आकर्षित करेंगे कि वह इसे देखें।

श्री अशोक गहलौत (जोधपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने हिन्दुस्तान समाचार में हुई तालाबन्दी के ऊपर विस्तार से प्रकाश डाला है। मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार के हालात में यह तालाबन्दी की नौबत आई है, उसकी जांच करने की आवश्यकता है। क्योंकि एक कर्मचारी को एक छोटी-सी बात को लेकर सस्पेंड करना, और जब कर्मचारी लोग हड़ताल पर गये तो कर्मचारियों के बार-बार आग्रह करने के बावजूद भी हिन्दुस्तान समाचार के मैनेजमेंट द्वारा उनसे बात न किया जाना और बिना कारण के तालाबन्दी की घोषणा कर देना, अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना, मैं मानता हूँ। मुझे लगता है कि इसके पीछे बहुत बड़ी चाल है वरना कोई कारण ऐसा नहीं था कि जब कर्मचारी लोग शांति पूर्ण ढंग से हड़ताल पर जा रहे थे, वहाँ किसी प्रकार का बायोलेंस नहीं था, वहाँ किसी के साथ कोई बातचीत नहीं की गई और वहाँ पुलिस तैनात थी, तो जहाँ तक मेरी जानकारी है, इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई है जो ऐसी नौबत आ जाये कि हिन्दुस्तान समाचार में तालाबन्दी की घोषणा की जाये। उसके बावजूद भी मैनेजमेंट ने जो एक तरफा कार्यवाही की है, उसके बाद भी वह बहुत खूबसूरती से अपना काम चला रहे हैं तो इस पर विचार करना पड़ेगा कि क्या कारण है कि इस

प्रकार के हालात में स्थिति यहां तक पहुँच गई कि बिना कारण के तालाबन्दी करनी पड़ गई ?

एक तरफ 350 कर्मचारियों के भविष्य का सवाल है, कर्मचारी लोग पिछले 3-4 महीने से तनख्वाह नहीं पा रहे हैं। पिछले दिनों जो तनख्वाह उनको मिल रही थी, उस वक्त भी दो साल से उनको बोनस नहीं मिला है, पी० एफ० और ई० एस० आई० का जो पैसा कटता है, वह जमा नहीं कराया जा रहा था। इस प्रकार की हालात में भी सारे कर्मचारी हिन्दुस्तान समाचार के मैनेजमेंट से को-आपरेट कर रहे थे। अचानक ही ऐसे हालात पैदा हो गये कि आज हिन्दुस्तान समाचार ने तालाबन्दी की घोषणा कर दी।

मेरा पहला सवाल यह है कि मंत्री महोदय इस बात की जांच करवायें कि ऐसे क्या हालात पैदा हुए हैं और इनके पीछे क्या राज है जिसके कारण हिन्दुस्तान समाचार के मैनेजमेंट ने एकतरफा कार्यवाही की ?

आपातकाल के समय जब दोनों एजेन्सीज को मिला कर समाचार बनाया गया तो एशिया की सबसे बड़ी एजेन्सी 'समाचार एजेन्सी' बनी थी। उस वक्त भी हिन्दुस्तान समाचार और समाचार भारती दोनों में घाटा हो रहा था। उसके बावजूद सरकार ने काम्पन्सेट किया और समाचार बनाया। उसके बाद उसने उसके कर्मचारियों के वेतनमानों को बढ़ाया और उन्हें सब सुविधायें दीं। जब जनता पार्टी का शासन आया, तो श्री अडवाणी ने पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर—सिर्फ इस लिये कि कांग्रेस पार्टी के शासन ने यह समाचार एजेन्सी बनाई—उसे तोड़ने का निर्णय किया। उसे तोड़ने के वक्त उन्होंने इन दोनों एजेन्सियों से वादा किया

[श्री अशोक गहलोत]

था कि हम आपको लगातार छः साल तक विशेष अनुदान देंगे जिससे आप अपने कर्मचारियों को बढ़े हुए वेतनमान दे सकें।

यह कोई कम बात नहीं है कि सत्ता में आने के बाद कांग्रेस सरकार वरावर दोनों एजेन्सियों को पेमेंट कर रही है और जनता पार्टी के राज्य में जो वाके किए गए थे, उन्हें पूरा किया जा रहा है। इसके बावजूद हिन्दुस्तान समाचार अपने कर्मचारियों को वेतन देने में असफल रहा। जैसा कि मेरे पूर्ववक्ताओं ने बताया है, करीब एक करोड़ रुपया हिन्दुस्तान समाचार ने आज तक विभिन्न स्रोतों से उठाया है, मगर उसका कोई हिसाब नहीं है। जो कर्मचारी स्ट्राइक पर हैं, उनसे बात करने पर तरह-तरह की बातों का पता लगा है। हिन्दुस्तान समाचार में मिस मैनेजमेंट होने से उस पर एक गम्भीर प्रश्न-चिह्न लग गया है।

अभी मंत्री महोदय ने बताया कि स्ट्राइक होने पर उन्हें मालूम पड़ा कि हिन्दुस्तान समाचार ने कितना पैसा उठाया है, पी० एफ. और ई.एस.आई. का पैसा जमा नहीं हो रहा है और बोनस नहीं दिया जा रहा है। ये बातें बहुत महत्व रखती हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह पूरे हालात की जांच करवाएं, जिससे आने वाले समय में हिन्दुस्तान समाचार के कर्मचारियों को पूरा वेतन और सभी सुविधाएं मिल सकें।

ऐसा सुनने में आया है कि जब से हिन्दुस्तान समाचार बना है, तब से आज तक हिन्दुस्तान समाचार को-प्रॉपर्टिव सोसायटी के चुनाव बिना कोरम के कराए जाते रहे हैं। नियमों के अनुसार जो कर्मचारी आवश्यक योग्यता प्राप्त कर लें, उन्हें सोसायटी का शेयर-होल्डर बनाया

जाना चाहिए। लेकिन कर्मचारियों का आरोप है कि आज तक उन्हें शेयर-होल्डर नहीं बनाया गया। उन्होंने को-प्रॉपर्टिव डिपार्टमेंट में शिकायत की, लेकिन अभी तक उनकी सुनवाई नहीं हुई है। इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि जो शेयर-होल्डर बनने लायक कर्मचारी हैं, उन्हें भागीदार क्यों नहीं बनाया गया और क्यों उन्हें चुनाव में खड़ा होने से वंचित किया गया।

जहां तक प्रमोशन का सम्बन्ध है, प्रार० ए० ए० के लोगों और जो लोग समाचार बनने पर नियुक्त किए गए थे, उनमें भेद किया जाता है और केवल प्रार० ए० ए० के चन्द लोगों को फायदा पहुँचाया जाता है।

समाचार भारती और हिन्दुस्तान समाचार, इन दोनों हिन्दी समाचार एजेन्सियों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। ये दोनों घाटे में चल रही हैं। इस लिए सरकार को विचार करना पड़ेगा कि भाषा समाचार एजेन्सियां किस प्रकार पनप सकें और भाषा समाचारपत्रों को अपनी भाषा में ही समाचार मिल सकें। सरकार को इस बारे में एक योजना बनानी चाहिए।

मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि कर्मचारियों ने रजिस्ट्रार, को-प्रॉपर्टिव सोसायटी से जो शिकायत की है कि उन्हें शेयर-होल्डर नहीं बनाया जा रहा है, उसके बारे में और को-प्रॉपर्टिव सोसायटी में होने वाली इर्रैगुलैरिटी के बारे में वह क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं।

श्री भागवत भ्वा आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी कहा है पिछले प्रश्न के उत्तर में कि इस संवाद समिति के अन्तर्गत ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने नियमतः

सदस्य बनने की इच्छा प्रकट की है, उन्होंने आवेदन दिए हैं, लेकिन उनको नहीं बनाया गया, ऐसा मुझे कल ही कहा गया है। इस सम्बन्ध में जैसा मैंने कहा कि अब जब जांच-पड़ताल होगी तो इस बात को देखा जायगा कि क्यों नहीं सदस्य बनाया गया और अगर वे उसके अन्तर्गत काम करते हैं तो उनको सदस्य बनने का हक है, यह बात तो सिद्धांततः स्पष्ट है। अब क्यों नहीं बनाया गया और बनाए जाने के लिए क्या कार्यवाही की जानी चाहिए, इसके लिए हम दिल्ली प्रशासन को कहेंगे।

यह बात हम अन्त में कह देना चाहते हैं कि हम सभी की सहानुभूति भाषायी संवाद समिति से है लेकिन इसका अर्थ यह नहीं हो सकता है कि सरकार इन समितियों को जो भी अनुदान दे या जो भी सहायता करे उसका वह उपयोग और कामों में करें लेकिन जो उसमें काम करने वाले हैं उनको तनखाह और बोनस न दे। इसको उसका दुरुपयोग कहा जायगा। इसलिए आज जो अभी बात-चीत हो रही है या होने वाली है दिल्ली प्रशासन के अम प्रायुक्त और प्रबन्धकों के बीच में, हम आशा करते हैं कि प्रबन्धक इसकी गंभीरता को समझेंगे और इस सम्बन्ध में जो चिन्ता और आशंका व्यक्त की जा रही है पिछले दिनों से और विशेषकर लोक सभा में आज की गई, उसको ध्यान में रखते हुए प्रबन्धक किसी उचित निर्णय पर स्वयं ही पहुँच जाएंगे। अगर नहीं पहुँचेंगे तो फिर जो और कार्यवाही करनी होगी वह की जायगी।

बाकी जो उन्होंने बतलाया है कि पूर्वाग्रह से इसको तोड़ा या और जो ऐसी बातें हैं वह हमारे मित्र साठे साहब से सम्बन्धित हैं वह उचित समय पर उस पर विचार करेंगे।

हम यही कहना चाहते हैं कि राजनैतिक आधार के बल पर जिस का प्रायः सभी सदस्यों ने उल्लेख किया, आर० एस० एस० की बात की इस आधार पर भाषायी संवाद एजेंसी नहीं चलायी जानी चाहिए और अगर उन्होंने अब तक किया है जिसका उदाहरण बहुत अधिक सदस्यों ने दिया है तो उनको इस बात से रोक कर के उसको खत्म करके पूर्णतः एक स्वच्छ भाषायी एजेंसी के रूप में कार्य करना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि वह अविलम्ब अपने साथ कार्य करने वाले पत्रकार बन्धु और जो दूसरे कर्मचारी हैं उन से बात करें, उनकी तनखाह दें, प्राविडेन्ट फंड और ई० एस० आई० का पैसा हमें दे दें और जो उन का और जगह बकाया है उसको उनसे वसूल करें। इसका अर्थ यह नहीं है कि इनका और जगह बकाया है तो यह काम वह बन्द कर दें। इसलिए मैं समझता हूँ कि आज जो लोक सभा में विवाद हुआ है इसको ध्यान में रखते हुए प्रबन्धक इस पर विचार करेंगे और इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करेंगे, अन्यथा सरकार को मजबूरन उन सभी कानूनों का सहारा लेना पड़ेगा जो इसमें उल्लेखनीय हैं।

MR. DEPUTY-SPEAKER : Next item is Statement by the Minister of State in the Ministry of Home Affairs, Shri P. Venkatasubbaiah.

13.11 hrs.

STATEMENT RE : WITHDRAWAL OF MONEY FROM CONTINGENCY FUND OF INDIA FOR COMMISSION OF INQUIRY ON GANDHI PEACE FOUNDATION ETC.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND DEPARTMENT OF